यह माना गया कि इस तरह की घातक बीमारी से संक्रमित होने पर किसी व्यक्ति की मन:/अवसाद की स्थिति जबरदस्त होती है और व्यक्ति की दुर्दशा अनिश्चित होती है और इसलिए, उपरोक्त कारकों को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका को देरी और पीड़ा के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है और धारा 47 के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त पद दिया जाना कर्मचारी का वैधानिक अधिकार है, उक्त। इसके बजाय, यह नियोक्ता का कर्तव्य था कि वह याचिकाकर्ता को उसके वैधानिक कानूनी अधिकार से अवगत कराए और चूंकि प्राधिकरण अपने कर्तव्य में विफल रहा है, इसलिए याचिका को देरी और देरी के आधार पर बाहर नहीं फेंका जा सकता है, विशेष रूप से प्राधिकरण राज्य होने के नाते। अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों के मद्देनजर उपयुक्त पद पर रोजगार पाने में याचिकाकर्ता के रास्ते में पेंशन का आहरण आड़े नहीं आएगा क्योंकि विधायिका ने ऐसे कर्मचारियों के सामने आ रही कठिनाई को ध्यान में रखते हुए अपने विवेक से ऐसे प्रावधानों का मसौदा तैयार किया है/पेश किया है, जो दुर्भाग्य से सेवा के दौरान बीमारी से संक्रमित हो गए हैं।

(Para 9)

आगे कहा गया कि ऊपर जो देखा गया है, उसके मद्देनजर रिट याचिका की अनुमति दी जाती है। दिनांक 1-2-2002 (अनुलग्नक पी-4) का आक्षेपित आदेश, अवैध और अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों के अधिदेश के विरुद्ध होने के कारण निरस्त किया जाता है। प्रतिवादी-अधिकारियों को एक उपयुक्त पद की पेशकश करने का निर्देश दिया जाता है जहां याचिकाकर्ता अपने कर्तव्यों का पालन कर सकता है। याचिकाकर्ता सभी परिणामी लाभों का भी हकदार होगा, यदि कानून में अनुमति दी जाती है। यह स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ता द्वारा पहले से ली गई पेंशन का लाभ समायोजित किया जाएगा।

(Para10&11)

याचिकाकर्ता के वकील मोहित गर्ग /

केशव गुप्ता, एएजी हरियाणा
राज्य के लिए।

अमित रावल, न्यायमूर्ति (मौखिक)

1. वर्तमान रिट याचिका में चुनौती दिनांक 1.2.2002 के आदेश (अनुलग्नक श्री मोहित गर्ग, विद्वान पी -4) के लिए है, जिसके तहत याचिकाकर्ता को गलत तरीके से चिकित्सा आधार पर सेवा से सेवानिवृत्त किया गया है, जो याचिकाकर्ता के अनुसार, विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम (1996 का 1) (संक्षेप में "अधिनियम") की धारा 47 के प्रावधानों का उल्लंघन है। याचिका में की गई प्रार्थना रिट जारी करने के लिए भी है। परमादेश ने प्रतिवादी-अधिकारियों को याचिकाकर्ता को सभी परिणामी लाभों के साथ सेवा में वापस लेने का निर्देश दिया।

2. याचिकाकर्ता को 12.11.1982 को हरियाणा रोडवेज, सिरसा में कंडक्टर के पद पर नियुक्त किया गया था। सेवा के दौरान, वह 'डिफ्यूज ब्रेन एट्रोफी और पार्किंसनिज़्म' नामक बीमारी से संक्रमित हो गए। इस तरह की बीमारी को देखते हुए, याचिकाकर्ता अनुपस्थित रहा और तदनुसार उसे अपने पद से निलंबित कर दिया गया और बाद में विभाग के अधिकारियों ने समीक्षा के बाद कर्तव्यों में शामिल नहीं होने के बाद चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ अपनी छुट्टी जमा की। याचिकाकर्ता के मामले को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, यमुना नगर द्वारा चिकित्सा जांच के लिए भेजा गया था, जिन्होंने मामले को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अंबाला और अंबाला में गठित मेडिकल बोर्ड को भेज दिया, याचिकाकर्ता की जांच करने के बाद, पाया कि याचिकाकर्ता वास्तव में उपरोक्त बीमारी से पीड़ित था और

प्रतिवादी-अधिकारियों ने पीजीआई विभाग से राय प्राप्त करने के बाद, रोहतक ने उन्हें कंडक्टर के पद के लिए उपयुक्त नहीं पाया और तदनुसार, आक्षेपित आदेश के तहत, उनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया है, संक्षेप में, सिविल सेवा नियम खंड 2, भाग 1 के नियम 5.12 के अनुसार अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया है।

3. याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील मोहित गर्ग ने अपनी दलीलों के समर्थन में अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों पर भरोसा किया है, जो निम्नानुसार है: –

> "धारा 47: - सरकारी नौकरियों में गैर-भेदभाव - (1) कोई भी प्रतिष्ठान अपनी सेवा के दौरान विकलांगता प्राप्त करने वाले कर्मचारी को नहीं छोड़ेगा, या रैंक में कमी नहीं करेगा:
>
> बशर्ते कि, यदि कोई कर्मचारी, विकलांगता प्राप्त करने के बाद उस पद के लिए उपयुक्त नहीं है जो वह धारण कर रहा था, तो उसे समान वेतनमान और सेवा लाभ के साथ किसी अन्य पद पर स्थानांतरित किया जा सकता है:
>
> बशर्ते कि यदि कर्मचारी को किसी पद के विरुद्ध समायोजित करना संभव न हो, तो उसे तब तक अतिरिक्त पद पर रखा जा सकता है जब तक कि उपयुक्त पद उपलब्ध न हो जाए या वह अधिवषता की आयु प्राप्त न कर ले, जो भी पहले हो।
>
> (2) किसी व्यक्ति को केवल उसकी विकलांगता के आधार पर पदोन्नति से वंचित नहीं किया जाएगा।
>
> बशर्ते कि उपयुक्त सरकार, किसी प्रतिष्ठान में किए गए कार्य के प्रकार को ध्यान में रखते हुए अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों के

अधीन, यदि कोई हो, जैसा कि ऐसी अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है, किसी भी प्रतिष्ठान को इस धारा के प्रावधानों से छूट दें।

4. उन्होंने आगे कहा कि उपरोक्त प्रावधानों के मद्देनजर, याचिकाकर्ता को किसी अन्य उपयुक्त पद पर समायोजित किया जाना चाहिए था, जहां वह अपने कर्तव्यों का पालन कर सकता था और जिस तरह से उसकी सेवाओं को समाप्त किया गया है, उसका सहारा नहीं लिया जाना चाहिए था। अपने तर्क के समर्थन में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भगवान दास और अनर मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया ***/*** *बनाम* ***पंजाब राज्य बिजली बोर्ड***[1] का तर्क है कि जहां याचिकाकर्ता पेंशन ले रहा है, वहां भी अदालत का दरवाजा खटखटाने के बाद दूसरे व्यक्ति को अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों का लाभ दिया गया है।

5. हरियाणा के सहायक महाधिवक्ता केशव गुप्ता ने राज्य की ओर से पेश होते हुए कहा कि रिट याचिका देरी और देरी के आधार पर खारिज की जा सकती है और चूंकि याचिकाकर्ता पेंशन ले रहा था, इसलिए उसे सेवा में बहाल नहीं किया जा सकता है। उन्होंने अनुलग्नक आर-8 का हवाला देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को सेवा में रहने की अवधि के दौरान आरोप पत्र दिया गया था और आरोप गबन से संबंधित थे।

6. मैंने पक्षकारों के विद्वान वकीलों को सुना है और पेपर बुक का मूल्यांकन किया है।

7. अधिनियम की धारा 47 की भाषा स्पष्ट और अस्पष्ट है और इसमें कोई विवाद नहीं है। भगवान दास के मामले (सुप्रा) में विकलांगता से पीड़ित एक कर्मचारी के समायोजन से संबंधित मामले में इसी तरह का विवाद उत्पन्न हुआ और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दलीलों को देखते हुए

[1] AIR 2008 SC 990

निम्नानुसार कहा: –

"12. प्रतिवादी-बोर्ड के अलावा किसी और द्वारा न्यायालय के समक्ष लाई गई सामग्री से यह स्पष्ट है कि स्पष्ट और निश्चित विधायी जनादेश के बावजूद बोर्ड के कुछ अधिकारियों का विचार था कि बोर्ड की सूची में एक अंधे, बेकार व्यक्ति को बनाए रखना और बिना किसी सेवा के बदले में उसे मासिक वेतन देना सही नहीं था। तदनुसार उन्होंने एक-दूसरे को समझाया कि अपीलकर्ता ने स्वयं सेवा से सेवानिवृत्ति के लिए कहा था और इसलिए, वह अधिनियम के संरक्षण का हकदार नहीं था। केवल जिस सामग्री के आधार पर बोर्ड के अधिकारियों ने यह रुख अपनाया कि अपीलकर्ता ने स्वयं चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्ति के लिए अनुरोध किया था, वह 17 जुलाई, 1996 का उनका पत्र था। यह पत्र तब लिखा गया था जब उन्हें एक आरोप पत्र जारी किया गया था और पत्र में वह ड्यूटी से अपनी अनुपस्थिति के बारे में बताने की कोशिश कर रहे थे। इस पत्र में उन्होंने रिटायर होने का अनुरोध किया लेकिन साथ ही कहा कि उनकी जगह उनकी पत्नी को उपयुक्त नौकरी दी जाए। हमारे विचार में उस पत्र को सेवानिवृत्ति के लिए स्वैच्छिक प्रस्ताव के रूप में पढ़ना असंभव है।

13. अपीलकर्ता नंबर 1 एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, एक लाइनमैन था। उसने अपनी दृष्टि पूरी तरह से खो दी। वह किसी भी सुरक्षा के बारे में नहीं जानता था जो कानून ने उसे दिया था और स्पष्ट रूप से मानता था कि अंधापन उसे अपनी नौकरी, अपने परिवार की आजीविका के स्रोत को खोने का कारण बन जाएगा। उस समय वह जिस भारी मानसिक दबाव में रहा होगा, उसकी कल्पना करना मुश्किल नहीं है। उन परिस्थितियों में यह वरिष्ठ अधिकारियों का कर्तव्य था कि वे उसे सही कानूनी स्थिति समझाएं और उसे अपने

कानूनी अधिकारों के बारे में बताएं। ऐसा करने के बजाय उन्होंने उनके पत्र से एक वाक्य उठाकर उन्हें सेवा से बाहर निकाल दिया, जो पूरी तरह से संदर्भ से बाहर था। बोर्ड के संबंधित अधिकारियों की कार्रवाई, हमारे विचार से, निंदनीय थी।

14. हम समझते हैं कि संबंधित अधिकारी बोर्ड के सर्वोत्तम हित में काम कर रहे थे। फिर भी पुरानी सोच के तहत उन्हें यह सही नहीं लगता कि बोर्ड को किसी ऐसे व्यक्ति पर अच्छा पैसा खर्च करना चाहिए जो अब किसी काम का नहीं था। लेकिन वे काफी गलत थे, किसी भी कोण से देखा गया। संकीर्ण दृष्टिकोण से अधिकारी कानून का पालन करने के लिए कर्तव्यबद्ध थे और विकलांग कर्मचारी के वैध अधिकारों को पराजित करने के लिए उनके पूर्वाग्रह की अनुमति देना उनके लिए खुला नहीं था। बड़े दृष्टिकोण से अधिकारी यह समझने में विफल रहे कि विकलांग भी देश के समान नागरिक हैं और किसी भी अन्य नागरिक की तरह इसके संसाधनों में उनका हिस्सा है। उनके अधिकारों से इनकार न केवल उनके और उनके परिवारों के लिए अन्यायपूर्ण और अनुचित होगा, बल्कि बड़े पैमाने पर समाज के लिए बड़ी और गंभीर समस्याएं पैदा करेगा। कानून उन्हें कोई दान या उदारता की अनुमति नहीं देता है, बल्कि देश के समान नागरिकों के रूप में उनका अधिकार है।

8. इस तरह की घातक बीमारी से संक्रमित होने पर एक व्यक्ति जिस मन/अवसाद से गुजरता है, वह जबरदस्त है और उसकी दुर्दशा बहुत ज्यादा है। इसलिए, उपर्युक्त कारकों को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका को विलंब और विलंब के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है और यह कर्मचारी का वैधानिक अधिकार है कि उसे धारा 47, पूर्वोक्त के

प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त पद दिया जाए। इसके बजाय, यह नियोक्ता का कर्तव्य था कि वह याचिकाकर्ता को उसके वैधानिक कानूनी अधिकार से अवगत कराए और चूंकि प्राधिकरण अपने कर्तव्य में विफल रहा है, इसलिए याचिका को देरी और देरी के आधार पर बाहर नहीं फेंका जा सकता है, विशेष रूप से प्राधिकरण राज्य होने के नाते। अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों के मद्देनजर उपयुक्त पद पर रोजगार पाने में याचिकाकर्ता के रास्ते में पेंशन का आहरण आड़े नहीं आएगा क्योंकि विधायिका ने ऐसे कर्मचारियों के सामने आ रही कठिनाई को ध्यान में रखते हुए अपने विवेक से ऐसे प्रावधानों का मसौदा तैयार किया है/पेश किया है, जो दुर्भाग्य से सेवा के दौरान बीमारी से संक्रमित हो गए हैं।

9. ऊपर जो देखा गया है, उसे ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका की अनुमति दी जाती है। दिनांक 1-2-2002 (अनुलग्नक पी-4) का आक्षेपित आदेश, अवैध और अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों के अधिदेश के विरुद्ध होने के कारण निरस्त किया जाता है। प्रतिवादी-अधिकारियों को एक उपयुक्त पद की पेशकश करने का निर्देश दिया जाता है जहां याचिकाकर्ता अपने कर्तव्यों का पालन कर सकता है। याचिकाकर्ता सभी परिणामी लाभों का भी हकदार होगा, यदि कानून में अनुमति दी जाती है।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ता द्वारा पहले से ली गई पेंशन का लाभ समायोजित किया जाएगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

वनित कौर
सोखी
प्रशिक्षु न्यायिक
अधिकारी
(Trainee Judicial
Officer)
करनाल , हरियाणा